भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 803
सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

रोजगार के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं

803. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का लोगों का महानगरों की ओर पलायन रोकने के लिए उक्त क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई धनराशि कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों सहित देश में नियोजनीयता में सुधार के साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) आदि के माध्यम से रोजगार के अवसर से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीतियां बनाई जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-**19** के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान ने 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन प्राप्त किया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 29.01.2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को 3435/- करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत 30.11.2021 तक 30.2 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 3,054 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 21.01.2022 तक 32.12 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना में 60 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए नौकरी और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****